न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 227/2011 (उदयपुर डिक्री)

श्री हनुमान प्रबन्ध कमेटी, कोटडा जरिये न्यायमित्र पृथ्वीराज पिता मगनलाल पूर्बिया, अध्यक्ष हिन्दु समाज, कोटडा, निवासी कोटडा, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. फकीर मोहम्मद पिता जहुर अहमद शेख, जाति मुसलमान, निवासी बापू नगर, जनरल हॉस्पिटल के पास, शिव शक्ति चबाना एण्ड स्वीट मार्ट, अहमदाबाद (गुजरात)
2. सरकार जरिये तहसीलदार, कोटडा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, कोटडा प्रकरण संख्या 23/2006 दिनांक 02.09.2011

–––/–––

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री सुरेश त्रिवेदी अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

–––:::–––

निर्णय **दिनांक 20–10–2022**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी श्री हनुमान जी का मंदिर गांव कोटडा में स्थापित है, जिनकी पूजा सुरक्षा एवं हितों के रक्षार्थ कमेटी गठित की हुई है तथा कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से वादी द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री हनुमान कमेटी के नाम से मौजा कोटडा की जमाबन्दी खेवट संख्या 188 में आराजियात अंकित है, जो चान्दमल पिता गुमानमल महाजन द्वारा जरिये रजिस्टर्ड भेट पत्र दिनांक 13–07–1971 से वादी के पक्ष में निष्पादित हुआ, जिसके अनुसार आराजी संख्या 99 रूनजिया वाला कुंआ रकबा 0.05 बीघा में 1/2 हिस्सा वादी कमेटी का रहेगा तथा 1/2 हिस्सा उस वक्त के तत्कालीन खातेदार केशा पिता मूला जी का रहेगा। इसके अलावा अन्य आराजी संख्या 100 से 105 व 109 से 111 को भेंट करने के साथ–साथ इन आराजियात पर खड़े पेड़ जिसमें 1/2 हिस्सा है तथा आराजी नंबर 109 रकबा 0.02 बीघा में मकान बना हुआ है। इस प्रकार कुल किता 10 रकबा साढे तीन बीघा सोलह बिस्वा तथा एक फलदार वृक्ष भेंट लिखकर वादी कमेटी के पक्ष में निष्पादित कर दिया। इस प्रकार चांदमल का 1/2 हिस्सा जरिये नामान्तरकरण कमेटी के पक्ष में राजस्व रेकार्ड में अंकित हुआ तथा 1/2 हिस्से के अन्य खातेदार द्वारा अपने 1/2 हिस्से का विक्रय मुश्ताक अहमद, इश्तियाक अहमद व वशीर अहमद के पक्ष में किया गया, फिर इस क्रेताओं द्वारा दिनांक 30–10–1996 को उक्त 1/2 हिस्से का विक्रय प्रतिवादी संख्या 1 को कर दिया, लेकिन सहवन से आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:00:27 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 99 व 100 को विक्रय पत्र में लिख देने से प्रतिवादी का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित हो गया, जबकि आराजी नंबर 99 व 100 के बजाय आराजी नंबर 114 व 115 अंकित होना चाहिए था। अतः उक्त संशोधन किया जाकर आराजी नंबर 114 व 115 कुल किता 2 रकबा 10 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम किया जावे तथा आराजी नंबर 100 रकबा 13 बिस्वा तथा आराजी संख्या 99 रकबा 5 बिस्वा का 1/2 हिस्सा वादी कमेटी के खाते दर्ज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल 3 तनकियां कायम की गयी, तत्पश्चात् तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 02–09–2011 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि मूल खातेदार मूला थे, जिसके दो पुत्र केशा व रामा हुए। रामा ने अपना 1/2 हिस्सा चांदमल को दिनांक 16–09–1960 को विक्रय किया, जिसे चांदमल ने दिनांक 13–07–1971 को अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड भेंट की, जिसका नामान्तरकरण संख्या 79 राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ। इसी प्रकार केशा के तीन पुत्र हरिदास, रघुनाथ व मोहन हुए, जिसमें से हरिदास, रघुनाथ के लाऔलाद फोत होने से मोहन ने उक्त आराजियात में अपना 1/2 हिस्सा दिनांक 28–09–1984 को मुश्ताक अहमद, इश्तियाक अहमद व वशीर अहमद को विक्रय कर दिया तथा बाद में उक्त क्रेताओं द्वारा दिनांक 03–10–1996 को उक्त भूमि का विक्रय रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया। इस प्रकार बिना विभाजन हुए राजस्व अधिकारियों ने अलग–अलग नामान्तरकरण खोलते हुए अलग–अलग जमीन अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट के खाते कर दी, जो सहवन से उनके द्वारा भूल हुई है। इसी कारण अपीलान्ट द्वारा घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती का वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने बगैर गहनता पूर्वक अवलोकन किये खारिज कर दिया, जो अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट/वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

हमने उभयपक्षों की बहस पर [illegible] तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:00:27 IST
Reason: SelfAttested

विवेचन करते हुए अपने तनकी नंबर 1 के विवेचन में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि ''वकील वादी ने जाहिर किया कि खसरा नंबर 99 रकबा 5 बिस्वा व खसरा नंबर 100 रकबा 13 बिस्वा चांदमल ने रामा पिता मूला से खरीदी, परन्तु इस संबंध में न नो कोई विक्रय पत्र पेश किया है एवं न ही भूमि के अन्तरण संबंधी कोई नामान्तरकरण पेश किया है। वकील वादी ने जो रजिस्टर्ड भेंट पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें चांदमल ने यह उल्लेख किया है कि उसने यह जमीन रामा पिता मूला से खरीदी, परन्तु इसका कोई विक्रय व नामान्तरकरण तस्दीक नहीं हुआ है और चांदमल ने यह जमीन श्री हनुमान प्रबन्ध कमेटी को रजिस्टर्ड भेंट कर दी। इसका नामान्तरकरण दिनांक 13–07–1971 को नामान्तरकरण संख्या 79 द्वारा हनुमान जी के नाम तस्दीक कर दिया गया, जबकि चांदमल के नाम न तो उक्त जमीन का कोई अन्तरण हुआ तथा न ही चांदमल के नाम नामान्तरकरण दर्ज हुआ। अतः चांदमल द्वारा हनुमान जी के पक्ष में किया गया भेंट पत्र शून्य एवं बोईडेबल है, क्योंकि उक्त जमीन पूर्व में चांदमल के नाम विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा नहीं आयी है। जबकि दूसरी ओर इस भूमि के खातेदार मोहन द्वारा आराजी नंबर 99 रकबा 5 बिस्वा एवं आराजी नंबर 100 रकबा 13 बिस्वा का रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 28–09–1984 को मुश्ताक अहमद, इश्तियाक अहमद व वशीर अहमद को किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 30–10–1996 को मुश्ताक अहमद, इश्तियाक अहमद व वशीर अहमद द्वारा इस भूमि का विक्रय प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया गया। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 फकीर मोहम्मद को उक्त भूमि विधिक प्रक्रिया के तहत प्राप्त हुई है।'' अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त आधारों पर वादी/अपीलान्ट का वाद साबित नहीं पाये जाने के आधार पर खारिज किया है, जो हमारे द्वारा पत्रावली के अवलोकन से विधि सम्मत प्रकट होता होता तथा हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 02–09–2011 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:00:27 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **अनीता मीना, आर.ए.एस.** .....

हनुमान प्रबन्ध कमेटी, कोटडा जरिये न्यायमित्र पृथ्वीराज पिता मगनलाल पूर्बिया, अध्यक्ष हिन्दू समाज, कोटडा निवासी कोटडा, तहसील कोटडा जिला उदयपुर (राज.)	बनाम	**फकीर मोहम्मद पिता जहुर अहमद शेख, निवासी बापू नगर, जनरल हॉस्पिटल के पास, शिव शक्ति चबाना एण्ड स्वीट मार्ट, अहमदाबाद (गुजरात) व अन्य**

अपील नं.....**227 / 2011**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**कोटडा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**02**.....माह.....**09**.....**2011**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**20**....माह.....**10**.....सन् **2022** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री सुरेश त्रिवेदी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री कमलेश चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 02–09–2011 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**20**.....माह.....**10**.....**2022** को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:00:27 IST
Reason: SelfAttested